

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना](#) के तहत सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये शेष पाँच महीनों (मई से सितंबर 2022 तक) हेतु चावल और गेहूँ के आवंटन को संशोधित किया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:

परिचय:

- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को [कोविड-19](#) के वरिद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये '[प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज](#)' (PMGKP) के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
 - **वित्त मंत्रालय** इसका नोडल मंत्रालय है।
- प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत **तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020)** की अवधि के लिये की गई थी, जिसमें **कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल** थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
 - इस योजना के **चरण- I और चरण- II** क्रमशः **अप्रैल से जून, 2020** तथा **जुलाई से नवंबर, 2020** तक संचालित थे।
 - योजना का **तीसरा चरण मई से जून 2021** तक संचालित था।
 - योजना का **चौथा चरण जुलाई-नवंबर 2021** के दौरान संचालित किया गया।
 - समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-जीकेएवाई योजना को और छह महीने अर्थात् सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ा दिया है।
- इस योजना के तहत [सार्वजनिक वितरण प्रणाली \(PDS\)](#) के माध्यम से पहले से ही प्रदान किये गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत **5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त** में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- PMGKAY के इस नए संस्करण में इसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक का अभाव है जो कि वर्ष 2020 के PMGKAY में उपस्थित था: NFSA के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के लिये प्रतिमाह 1 किलोग्राम मुफ्त दाल।

व्यय:

- PMGKAY चरण I-V में सरकार लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
- PMGKAY-V में 53344.52 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी।

महत्त्व और उससे संबंधित चुनौतियाँ:

महत्त्व:

- यह उन दैनिक श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कोविड-19 प्रेरित [लॉकडाउन](#) के मद्देनजर अपनी नौकरी खो दी।

चुनौतियाँ:

- एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी अंतिम जनगणना (2011) पर आधारित हैं, हालाँकि तब से खाद्य-असुरक्षा से जुड़े लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि अब इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस